भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5203

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में कौशल विकास

5203. **डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः**
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री धनुष एम॰ कुमारः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र में कौशल विकास प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में अपेक्षित कौशल के साथ पर्याप्त श्रमबल तैयार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(घ) अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के शीर्ष से आवंटित की गई धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया है;

(ङ) क्या उक्त शीर्ष के अधीन कुछ धनराशि अप्रयुक्त रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में संलग्न सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने/बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, हां।

(ख) : सीआईएल के प्रचालन क्षेत्रों एवं आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में लगभग 2.7 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पूर्व अधिगम की मान्यता हेतु दिनांक 03 मई, 2015 को एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। लक्षित वर्गों में 1,00,000 मौजूदा कर्मचारी, 70,000 संविदा कामगार, 70,000 परियोजना

प्रभावित व्यक्ति तथा 9वीं से 12वीं कक्षा के 30,000 छात्र शामिल हैं। कार्यकलापों के वृहत क्षेत्र में पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल), कर्मचारियों तथा संविदा कामगारों के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा प्रमाणन, प्रचालन क्षेत्रों में युवाओं एवं महिलाओं के लिए फ्रेश स्कीलिंग, स्कूलों में राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता ढांचा तथा अवसंरचना संवर्धन शामिल हैं।

इसके अलावा, सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 15 जुलाई, 2016 को एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और तत्पश्चात एक दिन का मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण किया गया। परियोजना को प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से खनन क्षेत्र कौशल परिषद (एससीएमएस) द्वारा चलाया जा रहा है। संपूर्ण समन्वय को एनएसडीसी एवं सहायक कंपनियों सहित सीआईएल द्वारा सिंगल प्वाइंट ऑफ कोंटेक्ट्स (एसपीओसी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ग) : प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों / उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कार्यकलाप	**दिया गया प्रशिक्षण**
कर्मचारियों तथा संविदा कामगारों के पूर्व अधिगम को मान्यता (आरपीएल)	39953
पीएपी की फ्रेश स्किलिंग	1968 (706 प्लेस्ड)
कुल	41921

(घ) तथा (ड.) : सीआईएल में 'अन्य प्रशासनिक व्यय' नामक कोई बजट शीर्ष नहीं है।

(च) : 2018-19 के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कुल 1,12,647 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 19,240 कार्यपालक और 93,407 गैर-कार्यपालक थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन-हाउस प्रशिक्षण, कंपनी के बाहर अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण और विदेशों में प्रशिक्षण शामिल है। अपने कर्मचारियों के अलावा, सीआईएल अपने कमान क्षेत्र में काम कर रहे संविदा कामगारों के लिए भी बुनियादी और रिफ्रेशर कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करती है। 2018-19 के दौरान खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली की आवश्यकता के अनुसार 45,261 संविदा कामगारों को सीआईएल की सहायक कंपनियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

*****